

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(1)

पत्रांक:- 2870 / प्र०३० / सिं०वि० / का०-२ / ई०२१ / स्था०

दिनांक 08 जून 2018


— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्णीत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सीचपालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम / जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार यापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
03	श्री जयकिशन शर्मा, / 01.08.1971 / बुलन्दशहर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर।	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विवेयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-7 (ग) में निहित प्रविधानानुसार वर्तमान कार्यलय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।




 ८/६/१८


एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)



(2)

संख्या:-2870 / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उद्धमसिंह नगर / अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर / अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।


(मोहन चन्द्रशंकर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)


कृते प्रमुख अभियन्ता
द. ६.१० 

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहसादून

(3)

पत्रांक:- 3286 / प्र0आ0 / सिंचितो / का0-2 / ई-21 / स्था0

दिनांक 08 मई 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजसव अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र 0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता /01.04.1964 /उधमसिंह नगर	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर।	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यगार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

०४. ६. १०

०४/६/१०

१०५

एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(4)

संख्या:-3286 / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी।
2. मुख्य अभियन्ता(य००) (स्तर-2) सिंचाई विभाग, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंह नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
9. कट फाईल हेतु।

Mary

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

✓ कृते प्रमुख अभियन्ता
८.६.१४ *✓* ८.६.१४

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 2236 / प्र०आ० / सिं०वि० / का०-२ / इ०-२१० / स्था०

दिनांक 08.06.2018

कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिक्षान में कार्यरत निम्नलिखित सीचालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र 0 सं०	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापरी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री मणेश कुमार / 03.03.1965 / देहरादून।	सिंचाई खण्ड, विकासनगर।	सिंचाई खण्ड, कालसी। (त्युणी चौकी)	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यमार्ग ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

६.६.१८
३०.६.१८

८

(6)

संख्या:-2236 / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी / विकासनगर देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

May
(मोहन चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता
द. ६.१७

2016/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(7)

पत्रांक:- 2626 / प्र030 / सिंचाई / का0-2 / ई-21 / स्था0

दिनांक 08 मई 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्णत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिकारी में कार्यरत निम्नलिखित सेवाचालनों को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र 0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री हरिश चन्द्र भट्ट / 16.05.1985 / रुद्रपुर।	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर।	सिंचाई खण्ड, नैनीताल (उपखण्ड द्वितीय बेताल घाट चौकी में पदस्थापित)	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियंत्रक अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आच्छा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससम्य कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

५.६.१८

८/६/१८

८

एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(S)


संख्या:-2626 / प्र०30 / कार्मिक / तदिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1, सिंचाई विभाग, हल्दानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर / हल्दानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर / नैनीताल।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।


(मोहन चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2),


कृते प्रमुख अभियन्ता
४. ६. १४


४. ६. १४

(9)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-3105 / प्र030 / सि0वि0 / का0-2 / ई-210 / स्था0

दिनांक 08 मई 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सीचालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा स्वयं के अनुरोध पर में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
		2	3	4
01	श्री मनोज कुमार / 12.07.1995 / देहरादून।	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-13(1) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

४.०.१०

४/६/१८

84

(एन0के० शर्मी)
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(10)

संख्या-3106 / प्र0310 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (रत्न-2), सिंचाई विभाग, देहरादून / श्रीनगर, उत्तराखण्ड,
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून / श्रीनगर
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. कट फाईल हेतु।

Man
(मोहन चन्द्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

Ch कृते प्रमुख अभियन्ता

८. ६. १०

✓ ७/६/१८

11

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुशासन-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3106/प्र030/सिंवि0/का0-2/ई215/स्था0

दिनांक 08 मई 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासन राजस्व अधिनियम में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा स्वंयं के अनुरोध पर में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
02	श्री सतीश चन्द्र सुयाल, /24.01.1961/पौड़ी	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की घासा-13(6) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुशासन प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपस्थोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुशास दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8-6-18
 8/6/18




एन0के0 शर्मा
 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(12)

संख्या:-3106/प्र030/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, देहरादून/श्रीनगर, उत्तराखण्ड,
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून/श्रीनगर
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. कट फाईल हेतु।


(मोहन चन्द्र पाण्डे)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता
८-६-१८ 

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक— 2241/प्र030/सिंच0/का0-2/ई-21/स्था0

दिनांक 08 मई 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजसव अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालों को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
06	श्री कुंजर सिंह /01.01.1968 /बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, कपकोट।	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विवेयक-2017 की धारा-13 (2) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सासमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

८/६/१८
८/६/१८

एन०क० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या:-2241 / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कपकोट / बागेश्वर।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

Mr. Cug
(महेन चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

८.६.१०

०१६)१८

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

15

पत्रांक:- 2402/प्र030/सिं0वि0/का0-2/ई41./स्था0

दिनांक 08.जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिकार में कार्यरत निम्नलिखित सीचपालों को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र सं	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री रुक्म सिंह राणा /04.06.1966 /उत्तराखण्डी।	सिंचाई खण्ड, पुरोला।	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मत कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

ल. 6.10

8/6/18 8/5

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(16)

संख्या:-2402 / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (रत्न-2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. अधिसारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून/पुरोला।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

Mary

(मोहम्मद चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

D. कृते प्रमुख अभियन्ता
ध. ६.१४ छ। ६।१४

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- १४६० / प्र०३० / सिं०वि० / का०-२ / ई०२१ / स्था०

दिनांक ०८-जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिकारीन में कार्यरत निम्नलिखित संचापालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं०	नाम/जन्मतिथि/ मृत जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
०१	श्री शमशरण सौनी, /०५.०९.१९६३ /सुल्तानपुर	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।	सिंचाई खण्ड, चमोली।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-०७ के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-७ (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यवार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष अथवा १० वर्ष जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्यालय कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आस्था तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

ए०१०८० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

४७-६-१८

४७-६-१८

४७-६-१८

(16)

४०६०

संख्या:- ५६० / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार / श्रीनगर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार / रुद्रप्रयाग।
3. आशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार / चमोली।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

(मोहन चंद्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

६.६.१८

८/६/१८

१९

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुसार-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 2540 / प्र०अ० / सिं०वि० / का०-२ / ई-२० / स्था०

दिनांक 08 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र 0 सं०	नाम / जन्मतिथि / मृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री माल चन्द नेगी / 15.02.1967 / उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, पुरोला।	सिंचाई खण्ड, कालसी।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आव्याहन तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरथानों की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

४-६-१८

४/६/१८

४/६/१८


एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(20)

संख्या:-2540 / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी/पुरोला।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।


(मोहन चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

ष. 6.10


मोहन चन्द्र पाण्डे

०१/६/१८